न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

मुन्त. प्रा0 / 08 / 2018

रामजीलाल पुत्र गंगोली जाति मीणा निवासी भवनपुरा तहसील रुपवास

.......प्रार्थी0

बनाम

1–रामनिरी पत्नी गजेन्द्र जाति मीना निवसी भवनपुरा तहसील रुपवास जिला भरतपुर

2–प्रबन्धक, एसबीआई शाखा ब्रहमवाद तहसील बयाना जिला भरतपुर

3–तहसीलदार रुपवास

.......अप्रार्थी0

प्रार्थना पत्र मुन्तकिली अन्तर्गत धारा 235 आर.टी.एक्ट विरुद्व सहायक कलेक्टर उच्चैन अन्तर्गत प्रकरण दावा संख्या 63 / 2012 उनवानी रामजीलाल बनाम रामनिरी वगे0

———————

निर्णय दिनांक 28.6.2018

प्रार्थी ने यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र विरुद्व अप्रार्थी इस आश्य का पेश किया गया है कि उपरोक्त उनवानी एक दावा सहायक कलेक्टर उच्चैन के न्यायालय में विचाराधीन है। पीठासीन अधिकारी श्री परशुराम मीणा अप्रार्थी संख्या–1 के रिश्तेदार हैं। अप्रार्थी संख्या–1 ने ऐलानिया कहा है कि पीठासीन अधिकारी हमारे रिश्तेदार हैं उनसे बातचीत हो गई है उन्होने प्रार्थी का दावा खारिज करने की कह दिया है। प्रार्थी को पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। मुन्तकिली प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण को किसी दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने की प्रार्थना की गई है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी0 की तलबी की गई। प्रार्थना पत्र पर टिप्पणी भिजवाने हेतु न्यायालय के पत्र क्रमांक / कोर्ट / 18 / 96 दिनांक 23.1.18 से सहायक कलेक्टर उच्चैन को लिखा गया। सहायक कलेक्टर उच्चैन द्वारा कोई टिप्पणी नहीं भिजवाई गई है। अप्रार्थी की ओर से जबाब पेश हुआ जो शामिल मिसिल किया गया। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष के कथनों पर गौर किया गया। प्रार्थी ने न्याय के प्रति शंका जाहिर की है। अतः सहायक कलेक्टर उच्चैन के यहॉ विचाराधीन प्रकरण को मुन्तकिल किया जाना उचित पाते हैं।

अतः आदेश है कि :–

प्रार्थना पत्र मुन्तकिली स्वीकार किया जाता है। सहायक कलेक्टर उच्चैन के न्यायालय में विचाराधीन दावा संख्या 63 / 2012 रामजीलाल बनाम रामनिरी वगे0 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भरतपुर के यहॉ मुन्तकिली किया जाता है। निर्णय की प्रति सहायक कलेक्टर उच्चैन एवं एस.डी.ओ. भरतपुर को पालनार्थ प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 28.6.2018 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(संदेश नायक)
जिला कलक्टर
भरतपुर

Web Copy - Not Official